

## उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

डुमरी अंचल के अन्तर्गत मातृ शिशु स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु Deemed Foreest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।


गैरमजरूआ Deemed Foreest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो जिला गिरिडीह अंचल डुमरी मौजा जामतारा थाना नं० 103 खाता नं० 01 प्लॉट नं० 1791 किस्म भूमि जंगल-झाड़ी में कुल रकवा 2.50 एकड़ में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

६०—

उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक ..... 811 ..... / रा. दिनांक ..... 26/03/2016

- प्रतिलिपि:— कार्यपालक अभियंता, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०छो०प्र० हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— सरकार के सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— सरकार के सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

 26/03/16

उपायुक्त, गिरिडीह।